

**UTTARAKHAND EMPLOYEES STATE INSURANCE, LABOUR, MEDICAL SERVICES (E.S.I.)**

**MEDICAL OFFICER (ALLOPATHIC)**

**Rejected Candidates List**

| S. No. | ROLL NO | NAME OF THE CANDIDATE | FATHER/HUSBAND'S NAME       | Category | Sub Category | Domicile (Y/N) | UTTARAKHAND Registration (Y/N) | Particular(s)   | Remarks (if any)   |
|--------|---------|-----------------------|-----------------------------|----------|--------------|----------------|--------------------------------|---|--|
| 1      | 2       | 3                     | 4                           | 5        | 6            | 7              | 8                              | 9   | 10   |
| 1      | 1075    | SUBIR KUMAR GOLDAR    | SHRI SUKUMAR CHANDRA GOLDAR | GEN      | None         | N              | N                              | Registration Certi. issued by Delhi Medical Council.    | उत्तरांचल कर्मचारी राज्य बीमा, श्रम, चिकित्सा सेवा नियमावली, 2006 के भाग चार-अर्हताएं के बिन्दु संख्या 8 (2) के अनुसार अभ्यर्थी "राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड में पंजीकृत हो।" साथ ही चिकित्सा अधिकारी, ऐलोपैथिक हेतु दिनांक 07 सितम्बर, 2017 को जारी विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 4(b) के अनुसार अभ्यर्थी का राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड में पंजीकृत होना अनिवार्य है। अतः वांछित अर्हता पूर्ण न कर पाने के कारण अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। |
| 2      | 1088    | MAYANK SAXENA         | SHRI DINESH KUMAR           | GEN      | None         | N              | N                              | REGISTRATION CERTI. ISSUED BY UP MEDICAL COUNCIL        | उत्तरांचल कर्मचारी राज्य बीमा, श्रम, चिकित्सा सेवा नियमावली, 2006 के भाग चार-अर्हताएं के बिन्दु संख्या 8 (2) के अनुसार अभ्यर्थी "राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड में पंजीकृत हो।" साथ ही चिकित्सा अधिकारी, ऐलोपैथिक हेतु दिनांक 07 सितम्बर, 2017 को जारी विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 4(b) के अनुसार अभ्यर्थी का राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड में पंजीकृत होना अनिवार्य है। अतः वांछित अर्हता पूर्ण न कर पाने के कारण अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। |
| 3      | 1135    | KUMAR SIDDHARTHA      | SHRI SURYA DEO SHARMA       | GEN      | None         | N              | N                              | REGISTRATION CERTIFICATE ISSUED FROM UP MEDICAL COUNCIL | उत्तरांचल कर्मचारी राज्य बीमा, श्रम, चिकित्सा सेवा नियमावली, 2006 के भाग चार-अर्हताएं के बिन्दु संख्या 8 (2) के अनुसार अभ्यर्थी "राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड में पंजीकृत हो।" साथ ही चिकित्सा अधिकारी, ऐलोपैथिक हेतु दिनांक 07 सितम्बर, 2017 को जारी विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 4(b) के अनुसार अभ्यर्थी का राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड में पंजीकृत होना अनिवार्य है। अतः वांछित अर्हता पूर्ण न कर पाने के कारण अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। |

| S. No. | ROLL NO | NAME OF THE CANDIDATE | FATHER/HUSBAND'S NAME | Category | Sub Category | Domicile (Y/N) | UTTARAKHAND Registration (Y/N) | Particular(s)   | Remarks (if any)   |
|--------|---------|-----------------------|-----------------------|----------|--------------|----------------|--------------------------------|---|--|
| 1      | 2       | 3                     | 4                     | 5        | 6            | 7              | 8                              | 9   | 10   |
| 4      | 1095    | AYODHYA PRASAD        | SHRI GINARI LAL       | SC       | None         | Y              | N                              | REGISTRATION CERTIFICATE ISSUED FROM UP MEDICAL COUNCIL | उत्तरांचल कर्मचारी राज्य बीमा, श्रम, चिकित्सा सेवा नियमावली, 2006 के भाग चार-अर्हताएं के बिन्दु संख्या 8 (2) के अनुसार अभ्यर्थी "राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड में पंजीकृत हो।" साथ ही चिकित्सा अधिकारी, ऐलोपैथिक हेतु दिनांक 07 सितम्बर, 2017 को जारी विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 4(b) के अनुसार अभ्यर्थी का राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड में पंजीकृत होना अनिवार्य है। अतः वांछित अर्हता पूर्ण न कर पाने के कारण अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। |

Sd/-  
Secretary,

Uttarakhand Medical Service Selection Board,  
Dehradun